अनुदान संख्या 12 – वाणिज्य विभाग
GRANT No. 12–DEPARTMENT OF COMMERCE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
प्रभारित-	*Charged–*					
मूल	*Original*	*20,00*		*40,00*	*18,20*	*–21,80*
पूरक	*Supplementary*	*20,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*21,79*
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1669,35,00		1874,99,00	1514,69,53	–360,29,47
पूरक	Supplementary	205,64,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					340,50,59
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	153,00,00		433,00,00	409,84,00	–23,16,00
पूरक	Supplementary	280,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					23,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचत (*21.80 लाख रु.*) फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए *20.00 लाख* रु. के पूरक *विनियोग* से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत *विनियोग* का 55 प्रतिशत थी।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

Notes and comments

1. In the charged portion of the revenue section of the grant, the overall savings *(Rs.21.80 lakhs)* exceeded the supplementary *appropriation* of *Rs.20.00 lakhs* obtained in February, 2004 and constituted 55 percent of the total sanctioned *appropriation.*

Saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2057" पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	*O.*	*20.00*			
पू.	*S.*	*20.00*	*18.21*	*18.20*	*–0.01*
पु.	*R.*	*–21.79*			

(I) "खरीद - पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय'' के अंतर्गत *20.00 लाख* रु. के मूल *विनियोग* को *20.00 लाख* रु. का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *40.00 लाख* रु. कर दिया गया। तथापि, *21.80 लाख* रु. की बचत (पूरक *विनियोग* सहित) दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Purchase - DGS&D" - the original *appropriation* of *Rs.20.00 lakhs* was augmented to *Rs.40.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *Rs.20.00 lakhs*. However, there was a saving of *Rs.21.80 lakhs* (including supplementary *appropriation*) due to non-receipt of claims.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचत (36029.47 लाख रु.) अगस्त, 2003, दिसम्बर, 2003 और फरवरी, 2004 में प्राप्त किए गए 20564.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.36029.47 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.20564.00 lakhs obtained in August, 2003, December, 2003 and February, 2004 and constituted 19 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2057" पूर्ति तथा निपटान	Major Head "2057" Supplies and Disposals				
मू.	O.	4041.00	4014.76	3935.65	–79.11
पु.	R.	–26.24			
मुख्य शीर्ष "2407" बागान	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	27190.00			
पू.	S.	20002.00	42995.21	41663.82	–1331.39
पु.	R.	–4196.79			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	8333.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–8333.00			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	98596.00			
पू.	S.	562.00	103514.86	103087.70	-427.16
पु.	R.	4356.86			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	24000.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–24000.00			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	2000.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–2000.00			

(I) 39770.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) आठ शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 39733.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407" - "चाय - अन्य व्यय - चाय विकास निधि"- 5400.00 लाख रु. चाय विकास निधि के

(I) Provision of Rs.39770.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under eight heads; of these Rs.39733.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2407" - "Tea - Other Expenditure - Tea Development Fund"-

प्रचालन के लिए लेखा प्रक्रिया को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर विभाग का योजना परिव्यय घटा दिए जाने के कारण थे।

Rs.5400.00 lakhs - due to late approval of the accounting procedure for operation of Tea Development Fund and reduction in the plan outlay of the Department by the Ministry of Finance at revised estimates stage.

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एकमुश्त प्रावधान"- 8333.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन किए जाने, पूंजीगत भाग में पूरक अनुदान प्राप्त करने के लिए 20.00 करोड़ रु. अभ्यर्पित किए जाने, व्यपगत न होने वाले पूल में 3.78 करोड़ रु. अभ्यर्पित किए जाने और लेखा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 6.00 करोड़ रु. अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(B) Major Head "2552"- " Other Expenditure - lumpsum provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- Rs.8333.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to functional heads for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim, surrender of Rs.20.00 crores for obtaining a supplementary grant in the capital section, surrender of Rs.3.78 crores to non-lapsable pool and surrender of Rs.6.00 crores due to non-finalisation of accounting procedure.

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन - अन्य अनुदान - निर्यात आधारभूत संरचना और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता संबंधी स्कीम" - 24000.00 लाख रु.।

(C) Major Head "3601"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Foreign Trade and Export Promotion - Other Grants - Scheme for Central Assistance to the States for Developing Export Infrastructure and other Allied Activities"- Rs.24000.00 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन - अन्य अनुदान - निर्यात आधारभूत संरचना और अन्य सम्बद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता संबंधी स्कीम" - 2000.00 लाख रु.।

(D) Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Foreign Trade and Export Promotion - Other Grants - Schemes for Central Assistance to the UTs for Developing Export Infrastructure and other Allied Activities"- Rs.2000.00 lakhs.

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अभिकरणों के माध्यम से स्कीमों को कार्यान्वित करने हेतु बजट के बाद लिए गए सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप पूंजीगत भाग में पूरक अनुदान प्राप्त किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above two heads remained unutilised due to obtaining of supplementary grant in capital section following the post budgetary decision of the Government to implement the scheme through agencies.

(II) मुख्य शीर्ष "2057" - "निरीक्षण - पूर्ति निरीक्षणालय महानिदेशालय" के अंतर्गत 107.51 लाख रु. की बचत (1561.24 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायती उपायों को अपनाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2057" - "Inspection - Directorate General of Supplies Inspectorate"- saving of Rs.107.51 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1561.24 lakhs) was due to economy measures and non-filling of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "2407" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2407"- savings occurred under the following heads:-

(का) "चाय"-

(A) "Tea" -

(क) ''उपकर संग्रहण के लिए अदायगी - चाय बोर्ड''- 298.00 लाख रु. की बचत (2402.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजनेतर व्यय समिति द्वारा बकाया कर्जों से परिक्रामी समूह के लिए चाय बोर्ड की स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Payment against Collection of Cess - Tea Board" - saving of Rs.298.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2402.00 lakhs) was due to non-approval of the scheme of Tea Board for revolving corpus from the outstanding loans by the Committee on Non-Plan Expenditure.

(ख) ''पुन:रोपण के लिए आर्थिक सहायता - चाय बोर्ड''- 1288.61 लाख रु. की बचत (1945.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दिनांक 1.4.2003 तक अप्रयुक्त अथशेष का समायोजन किए जाने, विभाग के योजना परिव्यय को घटाए जाने और स्कीमों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई क्योंकि बहुत सी मशीनरी जिसके लिए स्वीकृति प्रदान की जा चुकी थी वह निर्माणाधीन थी और इसलिए समय पर संस्थापित नहीं की जा सकीं।

(b) "Subsidy for replantation -Tea Board" - saving of Rs.1288.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1945.00 lakhs) was due to adjustment of unutilised opening balance as on 1.4.2003, reduction in the plan outlay of the Department and slow progress in the schemes as many of the machinery for which sanction was accorded were under the process of fabrication and therefore could not be installed in time.

(ग) ''अन्य व्यय - चाय बोर्ड''- 500.00 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चाय के लिए परिवहन संबंधी आर्थिक सहायता दर में वृद्धि के लिए अनुमोदन प्रदान करने में विलंब होने की वजह से स्कीमों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(c) "Other Expenditure - Tea Board"- saving of Rs.500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to slow progress in the schemes owing to delay in approval for raising the rate of transport subsidy for tea.

(खा) ''काफी''-

(B) "Coffee" -

(क) ''रोपण के लिए आर्थिक सहायता - काफी बोर्ड''- 900.00 लाख रु. की बचत (1200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(a) "Subsidy for plantation - Coffee Board" - saving of Rs.900.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1200.00 lakhs);

(ख) ''अन्य व्यय - काफी बोर्ड''- 1700.00 लाख रु. की बचत (3700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Other Expenditure - Coffee Board"- saving of Rs.1700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 3700.00 lakhs); and

(गा) ''मसाला - अन्य व्यय - मसाला बोर्ड'' - 301.00 लाख रु. की बचत (2101.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) "Spices-Other Expenditure-Spices Board"- saving of Rs.301.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2101.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर विभाग के योजना परिव्यय में 135.00 करोड़ रु. तक की कमी किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to reduction in the plan outlay of the Department by Rs.135.00 crores by Ministry of Finance at revised estimates stage.

(IV) मुख्य शीर्ष ''3453'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "3453" - savings occurred under the following heads:-

(का) "विदेश व्यापार नियंत्रण - विदेश व्यापार महानिदेशक" - 136.14 लाख रु. की बचत (3716.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(खा) "व्यापार सूचना और सांख्यिकी - वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशक"- 111.19 लाख रु. की बचत (1659.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें सरकार के निदेशों के अनुसार रिक्त पदों को न भरे जाने और किफायती उपायों का पालन किए जाने के कारण हुई।

(गा) "निर्यात संवर्धन स्कीम का प्रशासन - सांताक्रूज विशेष आर्थिक जोन"- 127.50 लाख रु. की बचत (568.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थानीय प्राधिकारी से संपत्ति कर की अदायगी से संबंधित दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) "अन्य व्यय"-

(क) "समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण"- 1227.00 लाख रु. की बचत (5727.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) "कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण"- 1430.00 लाख रु. की बचत (5630.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर विभाग के योजना परिव्यय को घटा दिए जाने और स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन उपलब्ध होने के कारण हुई।

(ग) "भारतीय विदेश व्यापार संस्थान"- 175.00 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संगठन के पास स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक संसाधन उपलब्ध होने के कारण हुई।

(घ) "बाजार पहुंच का सूत्रपात - निर्यात अध्ययन"- 3500.00 लाख रु. की बचत (4400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर विभाग के योजना परिव्यय में कमी किए जाने और योजना के अनुमोदन में विलंब होने के कारण हुई।

(A) "Foreign Trade Control - Director General of Foreign Trade" - saving of Rs.136.14 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3716.00 lakhs); and

(B) "Trade Information and Statistics - Director General of Commercial Intelligence and Statistics"- saving of Rs.111.19 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1659.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts as per directions of the Government and observance of economy measures.

(C) "Administration of Export Promotion Schemes - Santacruz Special Economic Zone"- saving of Rs.127.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.568.00 lakhs) was due to non-receipt of claim from the local authority for payment of property tax.

(D) "Other Expenditure"-

(a) "Marine Products Export Development Authority"- saving of Rs.1227.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5727.00 lakhs); and

(b) "Agricultural Products Export Development Authority"- saving of Rs.1430.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5630.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction in the plan outlay of the Department by the Ministry of Finance at revised estimates stage and availability of sufficient internal resources to meet the establishment expenditure.

(c) "Indian Institute of Foreign Trade"- saving of Rs.175.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs) was due to availability of sufficient internal resources by the organisation to meet the establishment expenditure.

(d) "Market Access Initiative- Export Studies"- saving of Rs.3500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4400.00 lakhs) was due to reduction in the plan outlay of the Department by the Ministry of Finance at the revised estimates stage and late approval of scheme.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 159.55 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत और 53 प्रतिशत थी।

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (15198.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407"-

(क) "चाय - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 3447.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3012.00 लाख रु. था।

(ख) "रबड़ - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 1388.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1386.80 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453" - "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता - निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठन के लिए सहायता"- 10363.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 10285.56 लाख रु. था।

(II) उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2407"-

(क) "काफी - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 300.00 लाख रु. (शून्य प्रावधान की तुलना में); और

(ख) "मसाला - अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमें" - 220.00 लाख रु. (शून्य प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यय को पूरा करने के लिए वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार मुख्य शीर्ष " 2552" के अंतर्गत

(V) Under two heads savings of Rs.159.55 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 15 percent and 53 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (Rs.15198.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants under the following major heads :-

(A) Major Head "2407" -

(a) "Tea - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" - Rs.3447.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3012.00 lakhs.

(b) "Rubber - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim" - Rs.1388.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1386.80 lakhs.

(B) Major Head - "3453"- "Assistance for Export Promotion and Market Development - Assistance for Export Promotion and Market Development Organisations" - Rs.10363.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.10285.56 lakhs.

(II) The above savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2407" –

(a) "Coffee - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"- Rs.300.00 lakhs (against nil provision); and

(b) "Spices - Other Expenditure - Schemes for the benefits of the North Eastern Region and Sikkim"- Rs.220.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above two heads was due to meeting the expenditure of North Eastern Region including Sikkim by transferring of funds from Major Head "2552" where lumpsum

रखे गए एकमुश्त प्रावधान से निधियां अंतरित किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3453"-

(क) "व्यापार प्रतिनिधित्व - व्यापार आयुक्त"- 530.97 लाख रु. का अधिक व्यय (6559.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते की दर, कार्यालय भवन के किराए में वृद्धि होने, व्यापार संवर्धन के लिए वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की बैठकों पर हुए प्रतिबद्ध व्यय और दुर्लभ मुद्रा के अधिमूल्यन और मुद्रास्फीति के कारण वेतनों पर अधिक व्यय होने के कारण हुआ।

(ख) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - विश्व व्यापार संगठन को अंशदान"- 133.83 लाख रु. का अधिक व्यय (332.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व व्यापार संगठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंशदान पर देयताओं में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 98.77 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 37 प्रतिशत था।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

provision was kept as per direction of Ministry of Finance.

(B) Major Head "3453" -

(a) "Trade Representation - Trade Commissioners" - excess of Rs.530.97 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6559.00 lakhs) was due to increased rate of dearness allowance, rents for office buildings, committed expenditure on meetings of Commercial Representatives for Trade Promotion and higher expenditure on salaries due to hard currency appreciation and inflation.

(b) "International Co-operation- Contribution to the World Trade Organisation"- excess of Rs.133.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.332.00 lakhs) was due to increased liabilities on the International Contribution for World Trade Organisation.

(III) Under one head excess of Rs.98.77 lakhs occurred constituting 37 percent of the sanctioned provision.

4. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "5453" विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5453" Capital Outlay on Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	7300.00			
पू.	S.	28000.00	35000.00	34984.00	–16.00
पु.	R.	–300.00			
मुख्य शीर्ष "5465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	8000.00			
			6000.00	6000.00	. .
पु.	R.	–2000.00			

(I) 300.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "5453'' - "सामान्य - अन्य व्यय - आधुनिकीकरण और उन्नयन'' के अंतर्गत भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ न किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "5465'' - "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्रके तथा अन्य उपक्रमों, बैंकों आदि में निवेश - निर्यात ऋण और प्रत्याभूत निगम'' के अंतर्गत 2000.00 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निर्यात ऋण और प्रत्याभूत निगम के लिए बढ़ी हुई इक्विटी संबंधी स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of Rs.300.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "5453"- "General - Other Expenditure - Modernisation and Upgradation" - due to non-starting of the construction work of the building.

(II) Under Major Head "5465"- "Investment in General Financial Institutions - Investment in Public Sector and Other Undertakings, Banks etc. - Export Credit and Guarantee Corporation" - saving of Rs.2000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to late approval of scheme for the enhanced equity for the Export Credit Guarantee Corporation.